न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म॰ प्र॰

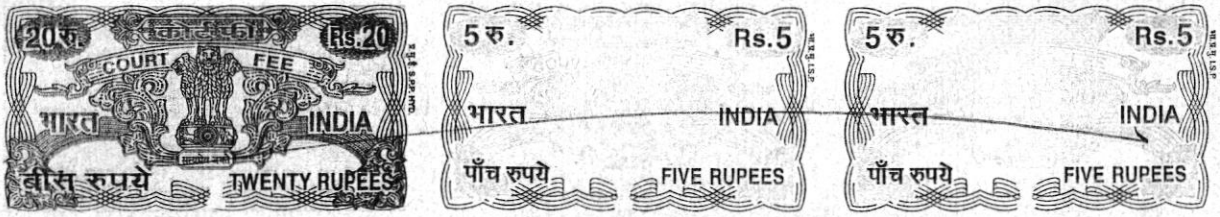

Rs-30/

खुशी लाल तनय स्वं माधव प्रसाद पटेल ग्राम उलही कला तह0 मनगवाँ जिला रीवा म0 प्र0

R 5204-II/17

§2§ समयलाल तनय स्व0 माधव प्रसाद पटेल ग्राम उलही कला तह0 मनगवाँ जिला रीवा म0 प्र0 ---------- वादीगण

आधिवक्ता श्रीकृपेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 16.5.17

बनाम0

§1§ श्रीमती प्रेमा पति स्व॰ माधव पटेल

§2§ शान्ति पुत्री स्व0 माधव प्रसाद पटेल,

§3§ रामकली पुत्री स्व 0 माधव प्रसाद पटेल

§4§ प्रमिला पुत्री स्व0 माधव प्रसाद पटेल

§5§ जगन्नाथ तनय परमेश्वरदीन नि॰ ग्राम उलही कला तह0 मनगवा जिला रीवा म0प्र0

सभी निवासी ग्राम उलही कला तहसील मनगवाँ जिला रीवा §म0 प्र0§

---------- प्रतिवादीगण

निगरानी विरूद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय तह0 मनगवा जिला रीवा के प्र0 क्र0 21ए/27/15-16 अन्तरिम पारित आदेश दि0 27-3-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5204–दो/2017 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक के आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी तहसीलदार मनगवॉ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 21 अ–27/2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–3–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना गया। उन्होंने तर्को में बताया कि ग्राम उलही कलॉ की सामिलाती भूमि कुल किता 6 के बटवारे का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु तहसीलदार व्दारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर , कि इसी भूमि पर राजस्व मण्डल में निगरानी चल रही है, निगरानी के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखना आवेदक को न्याय से बंचित करना है क्योंकि जो व्यक्ति खाते में साझेदार नहीं है एंव खसरे में भूमिस्वामी अंकित नहीं है ऐसे व्यक्ति की बटवारे में प्रस्तुत आपत्ति को नहीं माना जाना चाहिए। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख से एंव तहसीलदार मनगवॉ के आदेश दिनांक 27–3–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने इन आधारों पर प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की है :– **'' बटवारा पुल्ली वर्ष 2004 नामान्तरण पंजी कमांक 7 आदेश दिनांक 29–2–04 अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14–8–10 एंव अपर आयुक्त का स्थगन आदेश दिनांक 10–11–15 एंव सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही के आधार पर बटवारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।''**	

जब पक्षकारों के बीच वरिष्ठ न्यायालय में भूमि विवाद प्रचलित है एंव अपर आयुक्त न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 10–11–15 प्रभावी है, भूमि की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता एंव बटवारा कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः तहसीलदार मनगवॉ जिला रीवा व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 27–3–17 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य